



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को रोहतक (हरियाणा) से भाजपा उम्मीदवार डॉ. अरविंद कुमार शर्मा के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस की रीतियों एवं नीतियों की जमकर आलोचना की और कहा कि, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत का गौरव देश-दुनिया में खूब बढ़ा है।

## ‘कांग्रेस की नीति और नियत ठीक न होने से जनता ने दिखाया बाहर का रास्ता’

मु.मंत्री भजनलाल ने रोहतक में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित जनसभा में कहा

बहादुरगढ़, 14 मई (का.सं.)। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को हरियाणा के बहादुरगढ़ में रोहतक लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉ. अरविंद कुमार शर्मा के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि, पिछले 10 वर्षों में भ्रष्टाचार और आतंकवाद की एक भी घटना सामने नहीं आई है। मोदीजी जनता को 100 रुपये भेजते हैं तो उनके खाले में 100 रुपये ही पहुंचते हैं, बीच में कट नहीं लगता। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने अपनी हर दिवाली सीमा पर तैनात सैनिकों के साथ मनाकर उनका हौसला बढ़ाया है।

मुख्यमंत्री ने रोहतक लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी डॉ. अरविंद कुमार शर्मा को विजयी बनाने की अपील करते हुए कहा कि, भाजपा के प्रत्याशियों को दिया हुआ एक-एक

मुख्यमंत्री भजनलाल इस समय हरियाणा के चुनावी दौरे पर हैं और मंगलवार को उन्होंने रोहतक के भाजपा प्रत्याशी अरविन्द शर्मा के लिए सभा की।

योट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को मिलेगा और वे तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनकर भारत को प्रगति की नई बुलंदियों तक पहुंचावेंगे।

भजनलाल शर्मा ने कहा कि, कांग्रेस भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नक्सलवाद, तुष्टीकरण और गरीबी की जननी है। इस पार्टी को सबसे ज्यादा समय सत्ता में रहने का मौका मिला मगर गरीबों की सुध नहीं ली। उन्होंने

कहा कि, कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार का आलम यह था कि, पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी कहते थे कि, दिल्ली से हम 1 रुपया भेजते हैं तो जनता तक 15 पैसे ही पहुंचते हैं। आतंकवाद के कारण लोग डर के साये में जीते थे। आतंकवादी आये दिन बम फोड़कर चले जाते थे। देश को सीमाओं पर तैनात सैनिकों के सिर भी काट दिए जाते थे। शर्मा ने कहा कि, वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश ने हर क्षेत्र में प्रगति की है। गरीब कल्याण और देश के विकास के साथ ही दुनिया में भारत का गौरव भी बढ़ा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि, कांग्रेस 70 साल से गरीबी हटाओ का नारा दे रही है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, डॉ. मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी के बाद अब राहुल गांधी भी गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं, मगर गरीबों से इनका

कोई वास्ता नहीं है। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीजी ने गरीब कल्याण की योजनाएं चलाकर 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है और लगभग 50 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करावें हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि, एक समय पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक कांग्रेस का वर्चस्व था, मगर इनकी नैतिक और नियत ठीक नहीं होने के कारण जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद जब डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा कि कांग्रेस स्वार्थी और तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है तो उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर जनसंघ का गठन किया और उनके राष्ट्रवाद के सिद्धांत पर चलते हुए आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है।

## टैलिकॉम कंपनियां अब ग्राहकों को प्रमोशनल कॉल्स नहीं कर सकेंगी

ट्राई ने टैलिकॉम कंपनियों के खिलाफ प्रमोशनल कॉल्स करने पर जुर्माना लगाने का नियम लागू किया

नई दिल्ली, 14 मई। टैलिकॉम रैग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने मोबाइल फोन सब्सक्राइबर्स को प्रमोशनल कॉल्स से निजात दिलाने के लिए सरकार की ओर से जरूरी कदम उठाए गए हैं। टैलिकॉम ऑपरेटर्स से कहा गया है कि वे इस महीने तक प्रमोशनल कॉल्स पर लगाम लगाएं और ऐसा ना करने की स्थिति में बड़ा जुर्माना लगाया जाएगा।

मामले से जुड़े दो लोगों ने कहा है कि अनरजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से प्रमोशनल कॉल्स करने की स्थिति में उनपर जुर्माना लगाया जाएगा और उनकी ओर से किए जा रहे कॉल्स को गलत ट्रेड प्रैक्टिस का हिस्सा माना जाएगा। यह पहली बार है जब टैलिकॉम ऑपरेटर्स पर ग्राहकों की प्राइवैसी और अधिकारों का हनन करने के लिए पेनाल्टी लगाए

टैलिकॉम ऑपरेटर्स को ऐसे कॉल्स की आइडेंटिटी दिखाने के लिए कहा गया है, जिससे ग्राहक तय कर सकें कि, उन्हें कॉल रिसीव करना है या नहीं।

टैलिकॉम ऑपरेटर्स को ऐसे कॉल्स की आइडेंटिटी दिखाने के लिए कहा गया है, जिससे ग्राहक तय कर सकें कि उन्हें कॉल रिसीव करना है या नहीं।

ट्राइफ्ट गाइडलाइन्स में कहा गया है कि जिन कंपनियों को अनरजिस्टर्ड कॉल्स से फायदा होता है, उन्हें इनके लिए जिम्मेदार माना जाएगा। ट्राइफ्ट में कॉल करने वालों को कमीशन एजेंट माना गया है, जो अलग-अलग बैंस, इंश्योरेंस कंपनियों और रियल-स्टेट फर्म से जुड़े हो सकते हैं।

टैलिकॉम कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाने का फैसला पिछले सप्ताह स्टेकहोल्डर्स के साथ हुई मीटिंग के बाद लिया गया। इस मीटिंग में दूरसंचार विभाग, टैलिकॉम रैग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत संचार निगम

जाने की बात कही गई है। उम्मीद है कि ऐसी स्थिति में प्रमोशनल कॉल्स पर लगाम लगाई जा सकेगी।

मोबाइल सब्सक्राइबर्स को अभी इंडिविजुअल्स की ओर रिशप वाले 10 डिजिट के अनरजिस्टर्ड नंबरों से देरों देरों प्रमोशनल कॉल्स किए जा रहे हैं और इनके जरिए कॉमर्शियल मेसेजेंस भेजे जाते हैं। हालांकि ये नंबर कॉमर्शियल यूज के लिए रजिस्टर्ड नहीं होते और

लिमिटेड, एयरलेट, वोडाफोन और रिलायंस जियो से जुड़े लोग शामिल हुए। सभी ने मिलकर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के नियमों का पालन करने का फैसला किया है, जो सीधे डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को सपोर्ट करता है।

टैलिकॉम ऑपरेटर्स को ऐसे कॉल्स की आइडेंटिटी दिखाने के लिए कहा गया है, जिससे ग्राहक तय कर सकें कि उन्हें कॉल रिसीव करना है या नहीं।

टैलिकॉम ऑपरेटर्स को ऐसे कॉल्स की आइडेंटिटी दिखाने के लिए कहा गया है, जिससे ग्राहक तय कर सकें कि उन्हें कॉल रिसीव करना है या नहीं।

यशवन्त ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) एक रैली में पहली बार कांग्रेस का दुपट्टा पहने हुए नजर आए। इस जनसभा को इंडिया गठबंधन के नेताओं सहित कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी संबोधित किया था।

हजारीबाग में 20 मई को वोट डाले जाएंगे, वहाँ का टिकट जयंत सिन्हा को देने से भाजपा के हाईकमान ने मना कर दिया और वहाँ से पार्टी के विधायक मनीष जायसवाल को कांग्रेसी उम्मीदवार जय प्रकाश भाई पटेल के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया।

1998 के बाद से यह पहला अवसर है जब हजारीबाग में यशवंत सिन्हा के परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ रहा है। इस पर कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि "इसी वजह से इस परिवार के एक सदस्य ने कांग्रेस जॉइन की है ताकि सिन्हा परिवार के परम्परागत वोट बैंक को कांग्रेस की तरह खिंचा जा सके।"

## ‘गलवान में भारत और चीन की सेनायें एल.ए.सी. से बहुत आगे तैनात हैं’

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने स्वीकार किया कि, यह असामान्य स्थिति है

नई दिल्ली, 14 मई। चीन और भारत के बीच एलएसी सीमा विवाद काफी लंबे समय से जारी है। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर बलों की तैनाती असामान्य है। देश की सुरक्षा की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। जयशंकर मंगलवार को इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत ने गलवान झड़प का जवाब वहाँ बलों की जवाबी तैनाती से दिया। जयशंकर ने कार्यक्रम में बताया कि 1962 की जंग के बाद 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि, चीन ने ही एल.ए.सी. के पार सेना खड़ी करने की शुरुआत की, भारत ने भी चीन की तैनाती का कड़ा जवाब दिया। हमने भी अपनी सेनाएं वहाँ तैनात कीं। पिछले चार साल से सेनाएं गलवान में सामान्य बेस पोज़ीशन से आगे तैनात हैं।

चीन की यात्रा की। इसका उद्देश्य स्पष्ट था कि चीन और भारत संबंधों को सामान्य बनाए। यात्रा का उद्देश्य सीमा मतभेदों पर चर्चा करने के साथ-साथ सीमा पर शांति के बनाए रखना था। लेकिन 2020 में चीनियों ने इस समझौते को तोड़ दिया। भारत कोविड-19 लॉकडाउन में था, ऐसे समय पर चीन ने सीमा पर बड़ी

संख्या में सेना तैनात कर दी। अब चीजें बदल गई हैं।

जयशंकर ने कहा कि भारत ने भी चीन की तैनाती का कड़ा जवाब दिया। हमने भी अपनी सेनाएं वहाँ तैनात कीं। पिछले चार साल से सेनाएं गलवान में सामान्य बेस पोज़ीशन से आगे तैनात हैं। एलएसी पर यह तैनाती असामान्य है। तनाव को देखते हुए, भारतीय नागरिक के रूप में हमें देश की सुरक्षा की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। चीन के साथ संघर्ष आर्थिक चुनौती भी है। हाल ही में, चीन ने अरुणाचल प्रदेश के मौजूद स्थानों के नाम बदल दिए थे। चीन के इस दावे को जयशंकर ने खारिज करते हुए कहा था कि नाम बदलने से कोई असर नहीं पड़ेगा। वे भी जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा।

‘संदेशखाली ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) उनका प्रदर्शन इतना बेकार था कि उसके लिए कुछ भी नहीं लिखा जा सकता। देव के खिलाफ तीन गंधीर शिकायतें हैं जिनमें उन पर सांसदों को मिलने वाले विकास फंड से पैसे लेने का आरोप है।

इस बीच, श्वेन्दू अधिकारी ममता बनर्जी पर अधिक हत्याकांड हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने चुनाव में ममता बनर्जी को हराया है और उन्हें एक बार फिर हराएंगे।

संदेशखाली क्षेत्र में बढ़ता तनाव सत्तारूढ़ तुण्मूल को सर्वाधिक परेशान कर रहा है। यहाँ के लोग एकजुट होकर राज्य सरकार डराने-धमकाने और पुलिस कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं। क्षेत्र की महिलाएँ रात्रि पहरा देकर ममता बनर्जी को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रही हैं। ममता ने गत चुनाव में बंगाल की महिलाओं का आवाहन किया था कि वे जो भी मिले उसे हाथ में लेकर बाहर निकले और मुकाबला करें।

उन्होंने खासतौर पर महिलाओं से अनुरोध किया है कि वे झाड़ू लेकर बाहर आएँ।

संदेशखाली की महिलाएँ अपने हाथों में डंडे और झाड़ू लेकर बड़ी संख्या में रात्रि पहरा दे रही हैं, जिसकी तस्वीरें अब वायरल हो चुकी हैं।

इन महिलाओं की शिकायत है कि राज्य पुलिस और प्रशासन सत्तारूढ़ पार्टी के आदेशों पर काम कर रहा है। वैसे, कुछ महिलाओं ने तो अपनी शिकायतें वापस ले ली हैं और उन्होंने माम्मी दास नामक एक व्यक्ति का नाम लिया है जिसने उनसे कहा था कि वे अपने पास हुए यौन दुर्व्यवहार की एफ.आई.आर. दर्ज करवाएँ। तुण्मूल की धमकियों को देखते हुए मम्मी दास ने एक निचली अदालत की शरण लेकर अग्रिम जमानत की मांग की, लेकिन पुलिस हरकत में आई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने माम्मी दास को दस दिन के लिए पुलिस हिरासत में सौंपा है।

साहसी माम्मी दास ने दावा किया कि ममता बनर्जी हताश हो गई हैं। उन्हें अपनी कुर्सी जाने का भय सता रहा है।

## ई.वी. चार्जिंग ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) नियमों को रद्द करें।

मामले के तथ्यों के अनुसार इस याचिका में कहा गया था कि केंद्र सरकार को 2022 की नीति व गाइड लाइन के अनुसार अलग-अलग प्रदेशों की डिस्कॉम्स को प्रदेशों में 'इकोसिस्टम' स्थापित करना होगा। याचिका में कहा गया कि इस नीति के अनुसार भारत सरकार का उद्देश्य है कि वर्ष 2030 तक देशभर में सभी वाहनों की कुल संख्या का 30 प्रतिशत ई.वी.हों। परंतु याचिकाकर्ता बी.पी.सी.एल. के वकील शशांक अग्रवाल ने अदालत को कहा कि उसके मुताबिक को प्रदेश की डिस्कॉम्स की नीतियों के अनुसार 60 से 200 किलोवॉट क्षमता रखने वाले 100 'रिटेल् आउटलेट' यानी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिये समर्पित एच.टी. लाइन लगानी होंगी और 100 से अधिक ट्रांसफार्मर भी खरीदने होंगे। उन्होंने अदालत को बताया कि इस नीति से ई.वी. के लिये चार्जिंग स्टेशन का आधारभूत ढांचा स्थापित करना

अव्यवहारिक और आर्थिक रूप से असंभव है।

उन्होंने अदालत को कहा कि बी.पी.सी.एल. प्रदेश में नीति के बदलाव को अग्रसर करने के लिये यह याचिका दायर कर रही है। इस सुनवाई के दौरान ही जयपुर विद्युत वितरण निगम (जे.वी.वी.एन.एल.) सहित सभी विद्युत वितरण निगमों ने स्वयं ही 31 जनवरी से 4 मार्च के बीच आदेश पारित कर दिये थे और निगम आयोग में दर्ज भी करवा दिए थे, जिसके तहत हर तरह के ई.वी. चार्जिंग स्टेशन (200 किलोवॉट क्षमता तक) स्थापित करने के लिये एल.टी. वायर उपयोग में लिये जा सकेंगे। सभी निगमों ने आदेश में यह भी कहा कि चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के लिये लगाये जा रहे ट्रांसफार्मर का केवल क्रियाशील ही रिटेल् आउटलेट लगाने वाले को देना होगा, जिसमें भी तीन प्रतिशत डिस्कॉउट दिया जायेगा। निगमों द्वारा दिये गये इस नोटिफिकेशन के बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका राहत पाने के बाद वापिस ली।

18 साल से ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) याचिकाकर्ता को अब तक पट्टा जारी नहीं किया गया है और याचिकाकर्ता पर अविश्वास करने का भी कोई कारण नहीं है।

याचिका में अधिवक्ता दिनेश यादव ने अदालत को बताया कि, याचिकाकर्ता ने शास्त्री नगर स्थित आर.पी.ए. रोड पर वर्ष 2006 में नगर निगम की खुली नीलामी में करीब 140 वर्ग मीटर का भूखंड खरीदा था। जिसकी संपूर्ण राशि वर्ष बर्ष जमा करा दी गई थी। इसके बावजूद भी उसे अब तक इस जमीन का पट्टा नहीं दिया गया। जबकि बीते 18 सालों में वह नगर निगम के संबंधित अधिकारियों से कई बार पट्टा जारी करने की गुहार कर चुका है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को यह भी जानकारी दी गई कि, याचिका पर सुनवाई करते हुए गत सुनवाई को नगर निगम ग्रेटर को नोटिस भी जारी किए गए थे और संबंधित अधिकारी पर नोटिस भी तामील हो गए थे, लेकिन उनकी ओर से अदालत में कोई पेश नहीं हुआ है। मामले की सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को पट्टा सप्ताह में पट्टा जारी नहीं करने पर डी.एल.बी. निदेश को पेश होकर इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है।

## जिंदा बम प्रकरण ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) जा सकती है। इस आधार पर ही आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया है।

ए.ए.जी. शर्मा ने बताया कि, सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग आरोपी को रोजाना सुबह दस बजे से 12 बजे तक अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय में उपस्थित देने, जेल अधिकारियों के पास पासपोर्ट जमा कराने, बिना अनुमति विदेश यात्रा नहीं करने, किसी भी गैर कानूनी संगठन में शामिल नहीं होने और किसी भी निषिद्ध गतिविधि में शामिल होने या संबंधित व्यक्तियों से संपर्क करने पर उसे पुनः गिरफ्तार करने को कहा है।

जमानत याचिका में कहा गया था कि, याचिकाकर्ता को जयपुर ब्लॉक के मुख्य केस में बरी कर दिया गया था। इसके अलावा वह घटना के समय 16 साल और तीन माह की उम्र का था। वर्ष 2019 से वह जिंदा बम प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षण में चल रहा है। जबकि कानूनन किसी भी नाबालिग आरोपी को तीन साल से अधिक की सजा नहीं हो सकती है। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

जमानत का विरोध करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने कहा कि, आरोपी पर गंभीर आरोप हैं, ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जाए। इसके अलावा अति. महाधिवक्ता की ओर से

जमानत देने पर आरोपी पर कुछ शर्तें लगाने को कहा गया। इस पर अदालत ने शर्तों के साथ आरोपी को जमानत पर रिहा करने को कहा है। अति. महाधिवक्ता ने बताया कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने उसे जमानत दे दी हो, लेकिन अहमदाबाद और सूरत धमाकों में लिप्तता के कारण वह जेल में ही रहेगा।

उत्तर प्रदेश के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) बमुश्किल पांच में से एक विधानसभा सीट जीत पायी थी।

सिद्धार्थ नगर लोकसभा चुनाव क्षेत्र में भाजपा पांच विधानसभा सीटों में से 2 पर ही जीत पायी थी और अमरोहा के पांचों विधानसभा क्षेत्रों में हार गयी थी। कौशाम्बी के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी हार गयी थी और प्रतापगढ़ के सात में से केवल एक विधानसभा क्षेत्र में विजय हासिल हुयी थी। बाराबंकी के पांच विधानसभा क्षेत्रों में से भाजपा दो पर जीती थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि अयोध्या की चार सीटों में से भाजपा केवल 2 पर ही जीत पायी थी। मुद्दा यह है कि इस चुनाव, जिसमें कोई 'लहर' नहीं है, क्या भाजपा पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव क्षेत्रों में वर्ष 2019 का अपना प्रभुत्व कायम रख पायेगी?

## मोदी की कुल संपत्ति 3 करोड़ लेकिन खुद की गाड़ी और मकान नहीं हैं

प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में पेश किये चुनावी एफिडेविट में बताया है कि, उनके पास एस.बी.आई. में 2.89 करोड़ रुपये से अधिक की एक एफ.डी. है

प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में पेश किये चुनावी एफिडेविट में बताया है कि, उनके पास एस.बी.आई. में 2.89 करोड़ रुपये से अधिक की एक एफ.डी. है

वाराणसी, 14 मई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कुल संपत्ति 3 करोड़ रुपये से अधिक है, लेकिन उनके पास अपनी कोई जमीन, घर या कार नहीं है। अपने चुनावी हलफनामों में पीएम मोदी ने ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को वाराणसी सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। जिसके बाद उनका चुनावी हलफनामा सामने आया है। हलफनामों में, पीएम मोदी ने कुल 3.02 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की है। हलफनामों में उनके पास 3.02 करोड़ रुपये से अधिक की चल और अचल संपत्ति है, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक में दो करोड़ 89 लाख 45 हजार 598 रुपये की सावधि जमा

(फिक्स्ड डिपॉजिट) शामिल है। उनके हाथ में कुल नकदी 52,920 रुपये हैं और गांधीनगर और वाराणसी में उनके दो बैंक खातों में 80,304 रुपये जमा हैं। पीएम मोदी के पास राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र में निवेश के रूप में 9.12 लाख रुपये हैं और उनके पास चार सोने की अंगूठियों भी हैं जिनकी कीमत दो लाख 67 हजार 750 रुपये है। उनकी आय 2018-19 में 11.14 लाख रुपये से बढ़कर 2022-23 में 23.56 लाख रुपये हो गई। वित्तीय वर्ष में उनका आय 2018-19 में 11.14 लाख रुपये से बढ़कर 2022-23 में 23.56 लाख रुपये हो गई। वित्तीय वर्ष में उनका अनुमानित आयकर रिटर्न तीन लाख 33 हजार 179 रुपये है।

की बात करें तो 2018-19 में उनकी आय 11,14,230 रुपये, 2019-20

में 17,20,760 रुपये, 2020-21 में 17,07,930 रुपये, 2021-22 में 15,41,870 रुपये तो वहीं 2022-23 में प्रधानमंत्री को 23,56,080 रुपये की इनकम हुई। प्रधानमंत्री के हलफनामों के अनुसार उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है।

वहीं हलफनामों में उन्होंने अपनी पढ़ाई का भी ब्यौरा दिया है। इसके मुताबिक, नरेन्द्र मोदी ने 1967 में गुजरात बोर्ड से एसएससी किया था। 1978 में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ली थी। 1983 में गुजरात युनिवर्सिटी से पीएम मोदी ने